नगर पालिका की तैयारियों की खुली पोल

सड़कों पर उतराई गंदगी, जगह-जगह हुआ जलभराव, राहगीरों को हुई परेशानी

नवभारत न्यूज

पन्ना, 03 जुलाई। सिर्फ कमाई वाले कार्यों में रूची रखने वाली नगर पालिका प्रशासन का सफाई एवं अन्य जनहित के कार्यो से शायद कोई लेना देना नही है यही कारण है कि पहली ही मामूली बारिश ने नगर पालिका की वर्षा पूर्व तैयारियों सहित सफाई व्यवस्था की पोल खोल दी है।

मामूली आधा घंटा की बारिश में ही गंदगी से पटी नालियों का कचरा सड़कों पर आ गया तथा सड़के तालाब की तरह पानी से जलमग्न हो गई। बारिश थमने के बाद जगह-जगह जलभराव और कीचड़ के कारण राहगीरों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ा। शहर के प्रमुख मार्गों, बाजारों, भगवान जगन्नाथ मंदिर मार्ग, मंदिर के सामने, धाम मोहल्ला, जुगुलकिशोर मंदिर मार्ग में निकासी

नहीं होने से रास्ते में जलभराव हो गया और गंदगी सड़क पर उतरने लगी। दोपहिया वाहन चालक फिसलकर और जलभराव के बीच सावधानी से निकलते दिखाई दिए। राहगीरों को गंदे पानी से होकर गुजरना पड़ा।

नगर सुधार न्यास कालौनी सहित इन्द्रपुरी में सिर्फ प्रमुख त्यौहारों में लगती है झाड़ू - नगर सुधार न्यास कालौनी सहित वार्ड नम्बर 3 इन्द्रपुरी कालौनी में मात्र प्रमुख त्यौहारों में ही झाड़ू लगती है शेष लोग अपने अपने घरों की सफाई स्वयं करते है। मगलभवन के आगे इंद्रपुरी सहित अन्य स्थानों पर नालिया उफनाने लगीं, जिससे सड़कों पर कचरा फैल गया और आसपास दुर्गंध का माहौल बन गया लोगों का कहना है कि नगर पालिका की ओर से हर वर्ष बारिश से पहले नगर पालिका द्वारा नालियों की सफाई और जल निकासी व्यवस्था दुरुस्त करने के बड़े-बड़े दावे किए जाते हैं, लेकिन पहली ही बारिश में सभी दावों की पोल खुल जाती है। एक ही दिन की बारिश में यह हाल है, तो लगातार होने वाली बारिश के दौरान हालात और भी बदतर हो सकते हैं। इस ओर गंभीरता पूर्वक ध्यान दिए जाने की जरूरत है।

कलेक्टर की फटकार के बाद दोबारा शुरू हुई बिजली की सप्लाई - बारिश के बाद देर रात रोजाना की तरह बिजली गुल हो गई इंद्रपुरी सहित अन्य कॉलोनी-मोहल्लों में अधियारा छा गया। रोजाना की मनमानी से परेशान होकर लोगों ने देर रात 2 बजे कलेक्टर उषा परमार से शिकायत दर्ज कराई। कलेक्टर ने लोगों की तकलीफ को गंभीरता से लिया और विद्युत कंपनी के अधिकारियों को देर रात जमकर फटकार लगाई। तब विद्युत कंपनी के जिम्मेदार नींद से जागे और विद्युत सप्लाई सुचारू हो पाई।

साफ-सफाई के नाम महज खानापूर्ति

नगरवासियों ने आरोप लगाया कि कई नालियों की समय पर सफाई नहीं होने और जल निकासी की समुचित व्यवस्था नहीं होने के कारण पानी सड़कों पर भर गया। इससे राहगीरों, दुकानदारों और वाहन चालकों को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। शहरवासियों ने नगर पालिका प्रशासन से मांग की है कि बारिश के मौसम को देखते हुए तत्काल नालियों की प्रभावी सफाई कराई जाए, जल निकासी व्यवस्था को दुरुस्त किया जाए और जलभराव वाले स्थानों पर स्थायी समाधान निकाला जाए ताकि आगामी बारिश में नागरिकों को इस तरह की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ें।

कफ सिरप की बिक्री के लिए लेना होगा लाईसेंस

नवभारत न्यूज

पन्ना, 03 जुलाई। देश भर में खांसी के सिरप की अनियंत्रित बिक्री और इसके गलत इस्तेमाल पर लगाम लगाने के लिए सरकार द्वारा सख्त कदम उठाया गया है। केन्द्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा औषधि नियमावली 1945 में बड़ा संशोधन करते हुए बदलाव किया है।

बदलाव के चलते अब छोटे-छोटे गांव और कस्बों में बिना लाइसेंस के खांसी की सिरप बेचने पर पूरी तरह प्रतिबंध लगा दिया गया है। बताया गया कि सरकार के इस कदम से दवाओं के वितरण में पारदर्शिता और जनता का स्वास्थ्य सुरक्षित होगा।

क्या हुआ है बदलाव - सिरप का उपयोग नशीली दवाओं के रूप में बहुतायत में लिया जा रहा है। हाल ही में कई कफसिरप से बच्चों की जान भी जा चुकी है जिसके बाद से गांवों और कस्बों में खुली मेडिकल दुकानों को लाइसेंस के तहत कफसिरप बेचने के आदेश जारी किए गए थे। देखने में यह आया है कि कई गांव आज भी ऐसे हैं जहां जनरल स्टोर के नाम पर दवाईयां और सिरप बेची जा रही हैं। उन्हीं दुकानों के लिए यह आदेश जारी किया गया है जिसके तहत अब इन सामान्य दुकानों में बिना लाइसेंस के कफ सिरप की बिक्री नहीं की जाएगी।

लाइसेंस दुकानों में ही मिलेगी दवा - इस बदलाव के बाद अब ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940 के तहत पंजीकृत एवं लाइसेंस प्राप्त फार्मेसियों की दुकानों में ही खांसी की सिरप उपलब्ध होगी। जानकारों ने बताया कि खांसी की सिरप में जहरीले साल्ट की मिलावट और इसके अधिक दुरुपयोग की वजह से कई गंभीर घटनाएं सामने आईं जिसके चलते ग्रामीण क्षेत्रों में डॉक्टर की पर्ची के बिना दवाईयों पर प्रतिबंध लगा दिया गया था।

एक हजार से कम आबादी वाले क्षेत्र में दी गई थी छूट

औषधि नियम 2026 की अधिसूचना में औषधि नियमावली के शेड्यूल के क्रम संख्या 13 में प्रविष्टि 7 में से सिरप शब्द को हमेशा के लिए हटा दिया गया है। दरअसल, अब तक शेड्यूल के तहत उन छूट और ग्रामीण इलाकों में कुछ विशेष छूट दी गई थी जिनकी आबादी 1 हजार से कम थी। इसका मकसद उन गांवों तक बुनियादी सुविधाओं एवं दवाईयों का पहुंचना था जहां कोई लाइसेंस प्राप्त मेडिकल स्टोर या फार्मेसी उपलब्ध नहीं थी।

कई अभियान चले फिर भी ई-केवाईसी शत प्रतिशत क्यों नहीं

नवभारत न्यूज

पन्ना, 03 जुलाई। समग्र पोर्टल में नागरिकों के समग्र आईडी का आधार से ईकेवायसी शत.प्रतिशत कराये जाने के निर्देश शासन द्वारा दिये गये हैं। किन्तु स्थिति यह है कि यह लक्ष्य पूरा होने का नाम नहीं ले रहा है।

पूर्व में कई बार इस संबंध में विशेष अभियान चलाये जा चुके हैं किन्तु अभी तक शत प्रतिशत लक्ष्य पूरा नही हो पाया है। इसी तरह से भूस्वामी द्वारा आधार सत्यापित समग्र को राजस्व भूअभिलेख, खसरे से लिंकिंग का कार्य भी प्राथमिकता से किया जाना था किन्तु वह भी अभी शत प्रतिशत पूरा नहीं हो पाया। लिहाजा अब भविष्य में फिर से अभियान चलाया जा सकता है।

कैसे होगी प्रक्रिया?

बताया गया है कि नागरिकों के लिये समग्र आईडी का आधार से ई.केवायसी का कार्य एमपी ऑनलाईन कॉमन सर्विस सेन्टर के कियोस्क तथा लोक सेवा केन्द्रों के माध्यमों से किया जाता है। साथ ही यह कार्य सीधे समग्र पोर्टल एवं समग्र मोबाइल एप पर भी किया जा सकता है। इस प्रक्रिया में नागरिकों की जानकारी का सत्यापन उनके आधार आईडी विवरण के अनुसार किया जाता है। समग्र पोर्टल पर समग्र आईडी एवं आधार की जानकारी का शत .प्रतिशत मिलान होने पर ई.केवायसी की प्रक्रिया स्वतरू पूर्ण हो जाती है। यदि समग्र एवं आधार की जानकारी में अंतर है तो यह प्रक्रिया ग्राम पंचायत वार्ड प्रभारी द्वारा सत्यापन के बाद पूरी की जाती है। आधार में त्रुटि होने पर ई.केवायसी कराने से पहले आधार सुधरवाना हो गया। किन्तु स्थिति यह है कि यह लक्ष्य पूरा होने का नाम नहीं ले रहा है। पूर्व में कई बार इस संबंध में विशेष अभियान चलाये जा चुके है।

गुनौर विधायक ने जनसंवाद कर दी विकास कार्यों की सौगात

नवभारत न्यूज

पन्ना, 03 जुलाई। गुनौर विधायक डॉ. राजेश कुमार वर्मा ने अपने जन्म दिवस के अवसर पर आज विधानसभा क्षेत्र की तीन ग्राम पंचायतों में वृहद जनसंवाद कार्यक्रम आयोजित किया।

इस मौके पर ग्राम पंचायत मझगवां सरकार, बम्होरी एवं बिल्हा का भ्रमण कर आम जनता से जनसरोकारों पर सार्थक चर्चा की। साथ ही केन्द्र एवं राज्य सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं जैसे लाडली बहना योजना, प्रधानमंत्री आवास, आयुष्मान भारत, किसान सम्मान निधि आदि से लाभान्वित

हितग्राहियों से भेंट कर फीडबैक भी लिया। ग्राम पंचायत बम्होरी में विधायक ने लगभग 20 लाख रुपये की लागत से निर्मित सीसी रोड का लोकार्पण किया। साथ ही ग्राम में ही 20 लाख रुपये की लागत से निर्मित एक अन्य सीसी रोड का भी लोकार्पण किया गया। इन विकास कार्यों से ग्रामीणों को आवागमन में बड़ी सुविधा मिलेगी। विधायक डॉ. वर्मा ने कहा कि गांव का विकास ही मेरा पहला संकल्प है। इसी तरह मझगवां सरकार में राष्ट्रीय एकता तथा देश सेवा के एक कार्यक्रम में शिरकत कर ग्राम बिल्हा में लाडली बहनों के साथ केक काटकर जन्म दिवस मनाया।

राजस्व कर्मचारियों के सामने शासन के नियम बेअसर

नवभारत न्यूज

गुनौर, 03 जुलाई। मध्य प्रदेश शासन द्वारा राजस्व विभाग में कई समस्याओं के समाधान व मामलों के निराकरण के लिए समय सीमा निर्धारित की गयी है जिसमें भूमि का सीमांकन भी शामिल है। सीमांकन के लिए आवेदन दिनांक से 45 दिवस में आरआई की जिम्मेदारी है कि आवेदित भूमि का सीमांकन कर दिया जाएगा।

जरूरत में तहसीलदार को यह अधिकार भी है कि कोई भी कार्य समय सीमा के पहले भी किया जा सकता है सीमांकन भी करा सकते हैं। किंतु तहसील गुनौर में सीमांकन के कई आवेदन ऐसे हैं जिनकी समय सीमा हो गई है किंतु सीमांकन नहीं हुए हैं, किसान पटवारी एवं आरआई के चक्कर काट रहे हैं। प्राप्त जानकारी अनुसार जो किसान आवेदन करने के बाद आरआई साहब से निवेदन कर उनकी शर्तों से सहमत होकर उनकी मांग पूरी कर देते हैं उनका सीमांकन तुरंत हो जाता है जो किसान यह सोचता है कि हमने आवेदन कर दिया है जब हमारा नंबर आएगा हमें बुलाया जाएगा सूचना दी जाएगी, ऐसे किसानों का नंबर ही नहीं आता। यदि सीमांकन कर भी दिया जाता है तो उसमें कुछ गड़बड़ी कर दी जाएगी ताकि किसान भटकता रहे और परेशान हो।

अब वर्षा हो जाने के कारण कई जगह के सीमांकन होने में कठिनाई होगी, साथ ही पानी के मौसम का नाजायज फायदा आरआई एवं पटवारी उठाएंगे। कई लोगों के सीमांकन हो भी नहीं पाएंगे जिसके कारण विवाद होंगे। इसके लिए कौन जिम्मेदार है, किसानों के हित में समय सीमा में मामलों का निराकरण न होने पर जिम्मेदारों पर दंड का प्रावधान भी है। किंतु दण्ड रोपित नहीं किया जाता है इसलिए कर्मचारी बेखोफ होकर मनमानी कर रहे हैं। जिम्मेदारों पर दण्ड रोपित किया जाना चाहिए ताकि पीड़ित किसानों की समस्याओं का समाधान समय पर हो सके।

इनका कहना है

सीमांकन आवेदन अधिक होने के कारण समय पर नहीं हो पाए हैं। किसी को दंण्डित तो नहीं किया गया है किंतु कोशिश कर रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा लोगों के सीमांकन अभी भी हो जाए।

त्रिलोक सिंह पुषाम तहसीलदार गुनौर

ब्रान्डेड कंपनियों के नाम बिक रहे नकली गैस रेगुलेटर, नहीं हो रही जांच

नवभारत न्यूज

पन्ना, 03 जुलाई। कोई भी पेट्रोलियम गैस एजेंसी बाजार में अपना रेगुलेटर बिक्री के लिये नहीं देती बल्कि वह अपने अधिकृत गैस डीलर को ही रेगुलेटर देती है। किन्तु यहां देखा जा सकता है कि शहर में विभिन्न कंपनियों के नाम पर नकली गैस रेगुलेटरों की बिक्री धड़ल्ले से हो रही है।

बावजूद इसके यहां का नापतौल विभाग एवं खाद्य विभाग दोनो मौन बैठे हुये हैं। अभी तक यह पता था कि शहर में कई जगह दुकानों में गैस की अवैध रिफिलिंग की जाती है। किन्तु अब यह भी देखा जा सकता है कि गैस सिलेण्डरों ने उपयोग होने वाले नकली रेगुलेटरों की भी धड़ल्ले से बिक्री हो रही है। इस तरह की छूट कैसे मिल रही है यह जांच व कार्रवाई का विषय है।

न रसीद देते और न ही वापस लेते - यह भी देखा जा सकता है कि गलती से यदि किसी ग्राहक ने नकली रेगुलेटर बाजार से क्रय कर लिया तो संबंधित दुकानदार द्वारा न तो उसे बिक्री की रसीद देता और न ही बाद में वापस ही करता। जबकि उपभोक्ता के सिद्धांतों के अनुसार व्यापारी को किसी भी सामग्री की बिक्री करने के बाद उपभोक्ता को उसकी रसीद देनी चाहिये। फिर यदि उपभोक्ता मांग करता है तो देनी ही चाहिये। वह इससे इंकार नहीं कर सकता। किन्तु जहां सामग्री नकली है वहां कोई भी व्यापारी उसकी रसीद कैसे दे सकता है। किन्तु वह यह नही जानता कि आजकल रसीद का बाप आनलाईन किया जाने वाला भुगतान भी है। यदि किसी ग्राहक ने उस सामग्री का आनलाईन भुगतान उस व्यापारी के खाते में कर दिया है तो वह एक तरह से रसीद का ही काम करेगा।

इण्डेन सहित कई कंपनियों के नकली रेगुलेटरों की हो रही बिक्री - बाजार में ऐसी एक नहीं बल्कि कई दुकानें हैं जहां इण्डेन सहित कई कंपनियों के नाम पर गैस रेगुलेटरों की बिक्री धड़ल्ले से की जा रही है। ये वही दुकानदार हैं जो गैस चूल्हे की मरम्मत करते हैं, गैस सिलेण्डर से संबंधित अन्य आईटम बिक्री करते हैं, प्रेशर कुकर से लेकर कई तरह के घरेलू सामान भी बिक्री करते हैं। इसी के साथ वे नकली रेगुलेटर भी बेंच रहे हैं। एक अनुमान के अनुसार पन्ना शहर में ऐसे व्यापारियों की संख्या दो सैकड़ा के आसपास हो सकती है। ऐसे व्यापारियों को मौत का सौदागर कहा जाय तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। कारण प्रतिबंधित रेगुलेटरों की नकली बिक्री किया जाना है। जबकि कंपनियों द्वारा जो रेगुलेटर दिये जाते हैं वे वैज्ञानिक रूप से परीक्षण करने के बाद तैयार होते हैं।

इसीलिए होते हैं घरों में विस्फोट और भड़क उठती है आग

प्राय: इस तरह की खबरें भी प्रकाश में आती रहती हैं कि घरेलू गैस सिलेण्डर मे आग भड़कने से विस्फोट हो गया, घरेलू गैस सिलेण्डर में आग लगने से लाखों का सामान राख हो गया। किन्तु इस तरह की घटनाओं के बाद इस बात की जांच नहीं होती कि आखिर आग लगने के कारण क्या थे? किन्तु अब समझ में आ रहा है कि जब से बाजार में नकली गैस रेगुलेटर बिक्री होने शुरू हुये हैं तब से इस तरह की घटनायें अधिक हो रही हैं। चूंकि उपभोक्ता को बाजार में मिलने वाले रेगुलेटर एजेंसी की अपेक्षा आधे दाम में मिल जाते हैं।

खिलाड़ियों के लिए प्रतिभा चयन कार्यक्रम शुरू

पन्ना, 03 जुलाई। खेल एवं युवा कल्याण विभाग द्वारा म.प्र. राज्य अकादमियों में खिलाड़ियों के चयन के लिए प्रतिभा चयन कार्यक्रम आयोजित किया गया है। खेल परिसर सागर में प्रथम चरण की चयन प्रक्रिया में पन्ना जिल के खिलाड़ी भी शामिल हो सकेंगे। राज्य महिला हॉकी, ताईक्वांडो एवं जूडो अकादमी में चयन के लिए प्रतिभागी की आयु 01 जनवरी 2026 की स्थिति में 12 वर्ष से अधिक एवं 18 वर्ष से कम होना चाहिए। सागर में 3 जुलाई को महिला हॉकी खेल का प्रतिभा चयन कार्यक्रम सुबह 6 से 10 बजे तक, 9 जुलाई को ताईक्वांडो का सुबह 10 बजे से तथा 16 जुलाई को जूडो का प्रतिभा चयन कार्यक्रम सुबह 10 बजे से आयोजित होगा। आवास एवं भोजन व्यवस्था खिलाड़ी को स्वयं वहन करना होगा।

पत्नि का दूसरे के संग फोटो खिंचवाने पर भड़का पति

शादी की शहनाइयों के बीच पन्ना के जंगलों में पति का खौफनाक अंत

नवभारत न्यूज

पन्ना, 03 जुलाई। शादी का जश्न, नाच-गाना और हंसी-मजाक... सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन किसे पता था कि कैमरामैन की एक क्लिक हंसते-खेलते परिवार को इस कदर तबाह कर देगी।

मध्यप्रदेश के पन्ना टाइगर रिजर्व के प्रतिबंधित जमुनिया कोर एरिया में उस वक्त हड़कंप मच गया, जब घने जंगलों के बीच एक पेड़ से छतरपुर निवासी कैलाश प्रजापति की लाश लटकती मिली। साले के बेटे की शादी में शामिल होने आए कैलाश की मौत की

वजह कोई पुरानी रंजिश नहीं, बल्कि शादी के मंडप में हुआ एक हाई-वोल्टेज ड्रामा था। सूत्रो से प्राप्त जानकारी के अनुसार शादी की रस्मों के दौरान कैलाश की पत्नी ने लड़की के फूफा के साथ एक फोटो खिंचवा ली। बस फिर क्या था, इस बात ने कैलाश के भीतर शक और गुस्से की ऐसी चिंगारी सुलगाई कि भरा-पूरा शादी का माहौल पल भर में अखाड़े में तब्दील हो गया।

पति-पत्नी के बीच सरेआम तीखी बहस हुई, जिसके बाद रिश्तेदारों ने बीच-बचाव कर मामला शांत तो करा दिया, लेकिन कैलाश का गुस्सा शांत नहीं हुआ। वह इस बात को अपने दिल पर लगा बैठा। देर रात जब पूरा घर गहरी नींद में था, तब कैलाश शौच का बहाना बनाकर अंधेरे में निकला और फिर कभी लौटकर नहीं आया। सुबह जब चरवाहे मवेशियों को लेकर टाइगर रिजर्व के प्रतिबंधित इलाके में पहुंचे, तो वहां का खौफनाक मंजर देखकर उनके होश उड़ गए। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को फंदे से उतारा। महज एक फोटो के विवाद ने तीन मासूम बच्चों के सिर से पिता का साया हमेशा के लिए छीन लिया। फिलहाल पुलिस इस सनसनीखेज मामले के हर एंगल को खंगाल रही है कि यह वाकई सुसाइड है या इसके पीछे की कहानी कुछ और है।

सेफ क्लिक-2026 के तहत दी गई साइबर सुरक्षा की सीख

नवभारत न्यूज

पन्ना, 03 जुलाई। मध्य प्रदेश पुलिस द्वारा चलाए जा रहे राज्य स्तरीय साइबर सुरक्षा जन-जागरूकता अभियान सेफ क्लिक-2026 2.0 के दसवें दिन पन्ना जिले में एक व्यापक अभियान चलाया गया।

पुलिस अधीक्षक श्रीमती निवेदिता नायडू के निर्देशन में जिले के सभी थाना क्षेत्रों के अंतर्गत आने वाले मंदिरों, मस्जिदों, गुरुद्वारों, चर्चों, पंचायत भवनों और सामुदायिक केंद्रों पर धार्मिक एवं सामुदायिक जागरूकता विषय के तहत विशेष कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। इन आयोजनों में पुलिस

अधिकारियों ने धार्मिक सभाओं और सामुदायिक बैठकों में मौजूद श्रद्धालुओं, जनप्रतिनिधियों तथा आम नागरिकों से सीधा संवाद कर उन्हें सुरक्षित डिजिटल व्यवहार अपनाने के लिए प्रेरित किया।

कार्यक्रम के दौरान सार्वजनिक उद्घोषणा प्रणाली (माइक) और पेम्फ्लेट वितरण के माध्यम से लोगों को वर्तमान समय में चल रहे विभिन्न साइबर फ्रॉड जैसेकृडिजिटल अरेस्ट, फर्जी अधिकारी बनकर कॉल करना, बिजली बिल, ऑनलाइन निवेश, टास्क फ्रॉड, सोशल मीडिया हैकिंग और यूपीआई धोखाधड़ी के प्रति सचेत किया गया। पुलिस ने नागरिकों को विशेष रूप से आश्वस्त किया कि कोई भी सरकारी एजेंसी या पुलिस कभी भी फोन या वीडियो कॉल पर किसी को ष्डिजिटल अरेस्टष् नहीं करती है। इसलिए ऐसे डराने-धमकाने वाले कॉल आने पर बिल्कुल न घबराएं और न ही कोई धनराशि ट्रांसफर करें। इसके साथ ही, किसी भी प्रकार की साइबर धोखाधड़ी का शिकार होने पर बिना देरी किए राष्ट्रीय साइबर हेल्पलाइन नंबर ''1930'' पर कॉल करने या अधिकारिक पोर्टल पर शिकायत दर्ज कराने की सलाह दी गई, ताकि समय रहते ठगी गई राशि को होल्ड या रिकवर किया जा सके।

सेफ क्लिक-2026 : पेट्रोल पंपों और बाजारों में गूंजा साइबर जागरुकता का संदेश

नवभारत न्यूज

पन्ना, 03 जुलाई। मध्यप्रदेश पुलिस द्वारा चलाए जा रहे राज्य स्तरीय साइबर सुरक्षा जन-जागरूकता अभियान सेफक्लिक-2026 2.0 के नौवें दिन आज पन्ना जिले में बड़े पैमाने पर जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया।

पुलिस अधीक्षक श्रीमती निवेदिता नायडू के निर्देशन में जिले के सभी थाना क्षेत्रों के अंतर्गत आने वाले बाजारों, शॉपिंग मॉल, पेट्रोल पंपों और व्यापारिक प्रतिष्ठानों में पुलिस टीमों ने सक्रिय रूप से पहुंचकर दुकानदारों, कर्मचारियों और ग्राहकों को साइबर ठगी से बचने के व्यावहारिक गुर सिखाए। अभियान के दौरान पुलिस अधिकारियों ने व्यापारियों और दुकानदारों को ऑनलाइन भुगतान से जुड़े फ्रॉड के प्रति विशेष रूप से सतर्क किया।

पुलिस ने समझाया कि आजकल ठग फर्जी भुगतान स्क्रीनशॉट दिखाकर सामान लेकर चंपत हो जाते हैं। इसलिए सभी व्यापारी भुगतान प्राप्त होने की पुष्टि केवल अपने बैंक खाते का मैसेज देखकर या अधिकृत पेमेंट ऐप की जांच करने के बाद ही करें और सिर्फकिसी के मोबाइल स्क्रीनशॉट पर भरोसा कर सामान न सौंपें। इस दौरान आमजन और व्यापारियों को वर्तमान में चल रहे साइबर अपराध के नए तरीकों के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई। पुलिस ने नागरिकों को सचेत करते हुए बताया कि क्यूआर कोड हमेशा पैसे भेजने के लिए स्कैन किया जाता है।

खाद्य सुरक्षा कानून से खिलवाड़ : नहीं हो सका सतर्कता समितियों का गठन?

नवभारत न्यूज

पन्ना, 03 जुलाई। उचित मूल्य दुकानों की निगरानी के लिये खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत प्रत्येक दुकान में सतर्कता समितियों का गठन करने के नियम व निर्देश हैं। ताकि समुदाय के लोगो की भागीदारी सुनिश्चित हो सके और दुकानों तक निर्धारित समय व मात्रा में खाद्यान्न पहुच सके। साथ ही वितरण व्यवस्था की भी निगरानी हो सके।

किन्तु दुर्भाग्य है कि नियम व प्रावधानों के बावजूद इस जिले में आज तक सतर्कता समितियों गठन नहीं हो पाया। बल्कि समितियों के गठन के नाम पर खानापूर्ति की गई है। यही कारण है कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली में विक्रेताओं की मनमानी और खाद्य विभाग के अधिकारियों की सांठगांठ से कई तरह की गड़बड़ी होती रहती है। उपभोक्ताओं को न तो निर्धारित समय पर खाद्यान्न का वितरण हो पात, न ही निर्धारित मात्रा में तौल ही होती है। इसके साथ ही नियमित रूप से दुकानों भी नहीं खुलती एवं शत प्रतिशत उपभोताओं को खाद्यान्न का वितरण नहीं हो पाता। प्रतिमाह दुकानों में कितना खाद्यान्न पहुचा, कितना वितरण हुआ और कितना शेष बचा यह भी सुनिश्चित नही हो पाता। पोर्टल से लेकर दुकानों तक गोलमाल चलता रहता है।

समितियों के दायित्व निर्धारित किन्तु पालन कैसे हो?:- सतर्कता समितियों का दायित्व भी निर्धारित किया गया है। समितियों के सदस्यों को विधिवत सूचना देकर हर महीने बैठक होनी चाहिये। बैठक में इस बात की समीक्षा होनी चाहिये कि पात्र उपभोक्ताओं को शत प्रतिशत लाभ मिला या नहीं।

कोई उपभोता लाभ से वंचित न रहे इस पर समितियों के सदस्यों को ध्यान देने के निर्देश हैं। यदि किसी भी तरह की अनियमितता की स्थिति पाई जाती है तो उसकी जानकारी जिला शिकायत निवारण अधिकारी को देना चाहिये। योजनाओं के पर्यवेक्षण के दौरान यदि गबन की जानकारी प्रकाश में आती है एवं खाद्य सुरक्षा अधिनियम के प्रावधानों का उल्लंघन होना पाया जाता है तो समिति के सदस्यों को लिखित रूप से शिकायत करने का भी अधिकार दिया गया है। किन्तु दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति यह है कि जिले में उचित मूल्य दुकानों की निगरानी के लिये सतर्कता समितियों का कोई अस्तित्व ही नहीं है। न ही इस मामले में आज तक किसी भी जनप्रतिनिधि ने ही कोई सवाल उठाया है। यही कारण है कि सब मिलजुलकर सार्वजनिक वितरण प्रणाली का गला घोट रहे हैं।

शत प्रतिशत खाद्यान्न का वितरण कभी सुनिश्चित नहीं हो पाता। बार-बार जब समीक्षा की जाती है और दबाब बनाया जाता है जब जाकर वितरण का प्रतिशत बढ़ता है किन्तु वह शत प्रतिशत कभी संभव ही नहीं हो पाता। स्थितियां यह बनती हैं कि कभी चोरी के नाम पर तो कभी फर्जी वितरण दिखाकर उपभोक्ताओं के हक का खाद्यान्न हजम होता रहता है।

पांच साल के लिए होता है चयन

प्राप्त जानकारी के अनुसार सतर्कता समितियों का गठन पांच साल के लिये किया जाता है। ग्राम पंचायतों में ग्रामसभाओं का आयोजन किया जाता है जहां सदस्यों का चयन किया जाता है और प्रस्ताव पारित किया जाता है। प्रस्ताव का सर्वसमति से अनुमोदन किया जाता है। सतर्कता समितियों के सदस्यों की सूची का प्रदर्शन भी उचित मूल्य दुकानों में किया जाना चाहिये। किन्तु न तो कहीं समितियों की सूची दिखती और न ही गठन ही किया जाता है। पता ही नहीं चलता कि ग्राम पंचायतों के ग्रामसभाओं के एजेण्डे में कभी इस बिन्दु को भी शामिल किया गया हो। गांव की जनता की तरफसे अथवा पंचायत के सरपंचों की तरफ से इस एजेण्डे पर चिन्ता की गई हो।

आवंटन जारी होते ही एसएमएस से जानकारी

नियम तो यह भी है कि सतर्कता समितियों का गठन होने के बाद उचित मूल्य दुकानवार सदस्यों का डाटा एम राशन मित्र में फीड हो जाना चाहिये। खाद्य का आवंटन जारी होते ही सदस्यों के मोबाईल पर एसएमएस पहुचना चाहिये। निर्देश यह भी हैं कि गोदामों से खाद्यान्न का उठाव होते ही जैसे ही वाहन रवाना होता है तो खाद्यान्न की मात्रा एवं वाहन नबर सहित मैसेज सतर्कता समितियों के मोबाईल में पहुच जाना चाहिये। यहां तक कि आंगनवाड़ी के टेकहोम राशन तथा पोषण आहार की जानकारी भी पंचायत सचिव एवं सतर्कता समितियों के मोबाईल में एसएमएस के माध्यम से पहुचनी चाहिये। ताकि वे मौके पर पहुच कर निगरानी कर सकें और उपभोक्ताओं एवं हितग्राहियों को भी जानकारी दे सकें।